यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 09 / 2023
किस्म प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 05.08..2024

1. वीरेन्द्र पुत्र मिहीलाल जाति जाट निवासी ऊँच तहसील नदवई जिला भरतपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मन पुत्र करनसिंह जाति जाट निवासी ऊंच तहसील नदवई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदवई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री फूलसिंह एड (प्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए.

निर्णय

1. यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र के वास्ते पूर्ण सक्षम है।
2. यह कि आराजी खसरा न. 1407 रकवा 0.17 है. वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई में स्थित है। जिसका प्रार्थी अपने अन्य हिस्सेदारों के साथ मुताबिक हिस्सा जमाबंदी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रेवन्यू रिकॉर्ड है, जिस पर मनवट अनुसार प्रार्थी ही संपूर्ण रकवा पर काविज होकर काश्त कर रहा है।
3. यह कि प्रार्थी के उक्त खातेदारी के खसरा न. 1407 के दिशा पश्चिम से पूरव की तरफ आम रास्ता खसरा न. 1432 जो ग्राम ऊँच से लालपुर की तरफ जाता है से चलकर खसरा न. 1428 में हो करर जिस पर सडक बनी हुई है। आगे खसरा न. 1417 तथा खसरा नम्बर 1425 व 1424 व 1419 के मध्य रास्ता करीब 8-10 फिट [illegible] के पर पचासों साल से कायम है। जिसमें होकर सार्वजनिक रूप से आवागमन सभी काश्तकार द्वारा अपने अपने खेतों पर ट्रोली ट्रैक्टर लाने ले जाने के काम आ र[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:50:42 IST
Reason: SelfAttested

5/8/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

आगे पक्की सड़क नदबई से नगर तक मिलती है, तथा प्रार्थी भी अप्रार्थी के खेत खसरा न. 2328/1418 की पूर्वी मेंढ की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपने उक्त खेत खरारारा न. 1407 में आता जाता रहा है।

4. यह कि अब तक प्रार्थी हर वर्ष की भांति अपने खेत खसरा न. 1407 के लिये अप्रार्थी के खसरा न. 2328/1418 की पूर्वी मेंढ के सहारे आता जाता रहा है, लेकिन अब अप्रार्थी सं. 01 प्रार्थी सं रंजिश रखने लगा है व प्रार्थी को अपने उक्त खेत में से होकर ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरा नहीं निकलने दे रहा है तथा प्रार्थी को दिनांक 14.07.2023 को इस आशय की धमकी दी है कि अब वह प्रार्थी का रास्ता रोकेगा व अपने खेत के लिये नहीं जाने देगा इसलिये अब वैद्यानिक रूप से प्रार्थी डी.एल.सी. रेट की दुगनी राशि अप्रार्थी को देने को तैयार है क्योंकि प्रार्थी को कम से कम अप्रार्थी के उक्त खेत की दिशा पूर्वी मेंढ से 8 फीट चौडाई के रास्ते की अति आवश्यकता है। अन्य कोई दूसरा रास्ता प्रार्थी को अपपने खेत में आने जाने के लिये मौजूद नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी को पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी को अपने खेत खसरा न. 1407 के लिये ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरा वाहन लाने ले जाने के लिये अपने खेत खसरा न. 2328/1418 में होकर आने जाने से रास्ता नहीं रोके।

5. यह कि लैण्ड होल्डर होने के नाते अप्रार्थी सं. 2 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है एवं अन्त में प्रार्थना है कि प्रार्थी को अपने खसरा न. 1407 वाके ग्राम ऊँच के लिये आने जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा न. 2328/1428 की पूर्वी मेंढ से 8 फीट रास्ता कायम कराया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की तलवी हो चुकी है, परन्तु उपस्थित नहीं हुये हैं। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार नदबई द्वारा राज्यहित प्रभावी नहीं होने का बतलाया है।

प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से अपने प्रार्थना पत्र 251 ए के समर्थन में जमाबंदी संवत 2075–2078 ... खेत वाके ग्राम ऊंच

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:50:42 IST
Reason: SelfAttested

5/8/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

तहसील नदबई आदि दस्तावेजात पेश किये गये। प्रकरण में स्थल निरीक्षण हेतु तहसीलदार नदबई से रिपोर्ट मंगवाई गई।

1. प्रकरण में तहसीलदार नदबई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी आराजी तक जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। एवं कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
2. तहसीलदार नदबई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1407 की पूर्वी मेड़ पर खसरा नम्बर 2328/1418 के सामने तक आम रास्ता लगभग 8-10 फीट निकला हुआ है। जो कि खातेदारी भूमि में से बना हुआ है।
3. तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम एवं निकटतम रूट को धारित करता है।

हमने प्रार्थी वकील की बहस को सुना। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। प्रार्थी वकील के कथन रहे कि प्रार्थी का आराजी खसरा न. 1407 रकबा 0.17 है. वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई में स्थित है। जिसका प्रार्थी अपने अन्य हिस्सेदारों के साथ मुताबिक हिस्सा जमाबंदी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रेवन्यू रिकॉर्ड है। प्रार्थी को अपने खसरा न. 1407 वाके ग्राम ऊँच के लिये आने जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा न. 2328/1428 की पूर्वी मेंढ से 8-10 फीट दिये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया । मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी को अपने आराजी खसरा नम्बर/जोत तक पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा यह आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रस्ताविक रास्ता लघुत्तम एवं निकटतम रूट को धारित करता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष एवं तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खसरा न. 1407 वाके ग्राम ऊँच के लिये आने जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा न. 2328/1428 की पूर्वी मेंढ से [illegible] एक [illegible] रास्ता है जो कि न्यूनतम रूट को धारित करता है। वर्तमान में [illegible] रास्ता राजस्व रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:50:42 IST
Reason: SelfAttested

5/8/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1407 पर पहुंच हेतु मौजूद नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूल सिद्धान्त जिसमें खातेदार के खातेदारी संबंधी अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना अत्यावश्यक है। काश्तकार खातेदार को उसकी खातेदारी तक सुगम पहुंच उपलब्ध करवाया जाना भी उसी सिद्धान्त के अनुकूल है। अतः डी. एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर समुचित रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी को अपने खसरा न. 1407 वाके ग्राम ऊँच के लिये आने जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा न. 2328/1428 की पूर्वी मेंढ से 8 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जाता है। इस प्रकार रास्ते में आने वाली भूमि जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. के दुगुनी दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते का रकबा तय कर नियमानुसार तहसीलदार नदबई द्वारा राशि प्रार्थीगण से वसूल कर खातेदार विपक्षी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.24 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

5/8/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:50:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner